राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः–माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में दिनांक 25.09.2025 को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह/कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था के संबंध मे।

संदर्भः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आयोजित बैठक दिंनाक 18.09.2025 में प्रदत निर्देशों एवम विभागीय राजकाज क्रमांक 17902005 दिनांक 19.09.2025 के क्रम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 25.09.2025 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में बांसवाड़ा में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर समारोह आयोजित कर किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था की जानी है। इस हेतु विभागीय पत्रांक राजकाज रेफरेन्स 17902005 दिनांक 19.09.2024 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ165(07)पंरावि/एसएफसी/षष्ठम/दिशा–निर्देश/2024–25/347 राजकाज क्रमांक 13247621 जयपुर दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के बिन्दु संख्या–(अ)(3)(XIII) के अनुसार विशिष्ठ प्रावधान है।

अतः षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या (अ)(3)(XIII) के अंतर्गत दिनांक 25.09.2025 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में बांसवाड़ा में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके, को संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था यथा टी.वी./स्क्रीन व्यवस्था, फर्नीचर, दरी, पेयजल आदि से संबंधित व्यय हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान राशि से प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम राशि 10,000/– के व्यय/उपयोग करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332501526 दिनांक 23.09.2025 द्वारा अनुमोदित है।

(डॉ.जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.24 11:12:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17950615
eSign 1.0

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव को सूचनार्थ।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परावि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग।
9. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, पंचायतीराज विभाग।
11. अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.24 11:12:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17950615

eSign 1.0